

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(14)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 14.10.2022 की अनुपालना में डॉ ज्योति जोशी, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर में प्रूफ रीडर के पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि में राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-144 "क" के तहत 8 वें वर्ष के लिए अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 13.12.2022

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर को अनुमोदनार्थ।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय।
8. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
9. संबंधित अधिकारी।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर